

C.S. 46/2012

साचीना खोसकरवाल पं/3 बालचंद्र

30.05.25 वकील पक्षकारान उपाधीत  
प.व. लाहूर अवकाश पर है। पगावली  
वास्तु पूर्व दिशानुसार जवाब / वदत  
पुर्तना पर हेतु दिनांक 01.07.25  
को पेश है।

अपर जिला न्यायाधीश संख्या-01  
किशनगढ़ (अजमेर)

01.07.25 वकील पक्षकारान उपाधीत  
वकील वादी ने पूर्व दिनांक 31.05.25  
को सूची साक्ष्य पेश की नकल दिलवाई  
गई शाब्दिक पगावली रहे। वकील वादी ने जवाब  
पुर्तना पर 08 R.C.(3) CPC हेतु सम्य चार्ज  
मुनागया न्यायाधीश के अवसर उपलब्ध किया  
जाता है। पगावली वास्तु जवाब / वदत पुर्तना  
पर हेतु दिनांक 09.07.25 को पेश है।

अपर जिला न्यायाधीश संख्या-01  
किशनगढ़ (अजमेर)

फर्द अहकाम  
अज अदालत अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 1,  
किशनगढ अजमेर (राज0)

सचिन खंडेलवाल बनाम लालचंद  
दीवानी वाद संख्या 46/12  
सीआईएस 508/2014

तारीख  
हुम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

गमर व तारीख  
अहकाम जो हुम  
हुम की तारीख  
में जारी हुए

09.07.2025

श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, विद्वान अधिवक्त प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 4 की ओर से उपस्थित। श्री परमानन्द शर्मा, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण/वादीगण की ओर से उपस्थित। श्री इन्द्रेण के. रामचंदानी, विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उपस्थित।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 8 नियम 1 (3) जाब्ता दीवानी दिनांकित 23.05.2025 का जवाब प्रस्तुत नहीं करना जाहिर किया, जिस पर बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 4 ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र को स्वीकार प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों रिकार्ड पर लिये जाने की प्रार्थना की।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी एवं विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त प्रार्थना पत्र का मौखिक विरोध कर इस प्रार्थना पत्र को खारिज किए जाने की प्रार्थना की।

हमने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण अभी साक्ष्य वादी के स्तर पर है। प्रतिवादीगण इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से जिन दस्तावेजों को रिकार्ड पर लाना चाहते हैं वह दस्तावेजात हस्तगत प्रकरण के पक्षकारान एवं विषयवस्तु से संबंधित है। साथ ही यह दस्तावेजात हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु आवश्यक प्रतीत होता है। जहां तक इन दस्तावेजों को देरी से प्रस्तुत करने का प्रश्न है, इस देरी को कोस्ट लगाकर कंपन्सेट किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रार्थना पत्र 500/रूपये पर कोस्ट पर स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिया जाता है एवं वादी को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वह इन दस्तावेजों के खंडन में स्वयं की ओर से दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेगा। कोस्ट राशि वादी को अदा की जावे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 16.07.2025 को पेश हो।

(संदीप आनन्द)  
अपर जिला न्यायाधीश संख्या-01  
किशनगढ (अजमेर)

फो-...  
(श्री...)

C.S. 46/2012

साक्षी नं. 1, लालचन्द वर्मा

Sachin

16.07.25 वकील पक्षकारान उपाधीत  
 गवाह उपाधीत। वकील वादीगण ने  
 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 04 नियम  
 14 CPC वास्तु दस्तावेजा का रिपोर्ट  
 पर बर्न काबत वरु किया नकल दिलवाई  
 गई शामिल पत्रावली रहे। वकील प्रतिवादी  
 से 2/2 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 18  
 नियम 04 एवं आदेश 19 नियम 03  
 CPC पेश किया नकल दिलवाई गई शामिल  
 पत्रावली रहे। वकील वादी एवं वकील  
 प्रतिवादीगण का निर्देशित किया जाता है कि  
 प्रकरण Targetted है जवाब प्रार्थना पत्र एवं  
 एच डी इवसट प्रदान किया जाएगा आगामी पेशी  
 पर ~~उक्त~~ वकील वादी एवं प्रतिवादी को  
 आवश्यक रूप से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर  
 पत्रावली वास्तु जवाब प्रार्थना पत्र एवं  
 दिनांक 23.07.25 को पेश है।

अपर जिला न्यायाधीश संख्या-01  
किशनगढ़ (अजमेर)

दिनांक 30.07.25

दिनांक 23.07.25 न्यायिक कर्मचारियों के संपूहिक

अवकाश पर होने से पत्रावली में कामन तारीख पेशी

दिनांक 30.07.25 नियम की वही।

वकील पक्षकारान उपाधीत। वकील वादी ने  
 जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04  
 एवं आदेश 19 नियम 03 CPC पेश किया  
 नकल दिलवाई गई शामिल पत्रावली रहे।  
 वकील प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 04  
 नियम 14 CPC वास्तु दस्तावेजा का रिपोर्ट  
 वाकल ~~किस~~ का जवाब पेश करना है।  
 जवाब प्रार्थना पत्र एवं किया जाता है। पत्रावली  
 वास्तु एवम् प्रार्थना पत्र एवं दिनांक 06.08.25  
 को पेश है।

अपर जिला न्यायाधीश संख्या-01  
किशनगढ़ (अजमेर)

# Order Sheet (Subsequent)

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 01

किशनगढ़ जिला अजमेर


CNR Number \_\_\_\_\_

Number of Case \_\_\_\_\_

C 46/12

Year \_\_\_\_\_

सिमिन एंडे टाइट Versus सिमिन

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
6/8/12	<p>अति उत्तम रूप से                      शांतिपूर्वक ढंग से                      न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत                      प्रकृत अति उत्तम ढंग से                      दि 13/8/12 को प्रेषित है</p> <p style="text-align: right;">                       अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 01                      किशनगढ़ जिला अजमेर                 </p>	

18/11/2012  
 18/11/2012  
 18/11/2012  
 18/11/2012  
 18/11/2012

फर्द अहकाम  
अज अदालत अपर जिला न्यायाधीश, संख्या 1,  
किशनगढ अजमेर (राज0)

सचिन खंडेलवाल बनाम लालचंद  
दीवानी वाद संख्या 46/12  
सीआईएस 508/2014

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तारीख  
में जारी हुआ

3.08.2025

श्री परमानन्द शर्मा, विद्वान अधिवक्ता वादीगण की ओर से उपरिथत।  
श्री इन्द्रेष के. रामचंदानी, विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उपरिथत।  
श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 की ओर से उपरिथत।

बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14 जाब्ता दीवानी दिनांकित 16.07.2025 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 18 नियम 4 सपठित आदेश 19 नियम 3 जाब्ता दीवानी दिनांकित 16.07.2025 सुनी गई। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14 जाब्ता दीवानी पर विचार करें तो इस प्रार्थना पत्र की बहस में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/वादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि इस न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के दस्तावेजों को अपने आदेश दिनांकित 09.07.2025 द्वारा रिकोर्ड पर लिया गया है एवं वादीगण को इन दस्तावेजों के खंडन में दस्तावेज प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया था। वादीगण इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से जिन दस्तावेजों को रिकार्ड पर लाना चाहता है, वे दस्तावेजात हस्तगत प्रकरण के न्यायसंगत निस्तारण हेतु आवश्यक है। ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिया जावे। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/वादीगण ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए-

- 1- 2025 (2) DNJ (Raj) 618 Mahant Bheem Bharti vs General Public & Ors.
- 2- 2025 (2) DNJ (SC) 716 Muruganandam vs Muniyandi (Died) Thro' LR's

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र का मौखिक विरोध करते हुए निवेदन किया कि इस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात मूल दस्तावेजात नहीं है, जिन्हें साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त यह दस्तावेजात हस्तगत प्रकरण के न्यायसंगत निस्तारण हेतु भी आवश्यक नहीं है। अतः यह प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

हमने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। साथ ही प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रार्थीगण/वादीगण जिन दस्तावेजों को रिकोर्ड पर

अपर जिला न्यायाधीश संख्या-01  
किशनगढ (अजमेर)

लाना चाहते हैं वह दस्तावेजात प्रतिवादी संख्या 01 लालचंद व उसकी फर्म शक्ति मेडिकल स्टोर से संबंधित है एवं इस न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के जो दस्तावेजात अपने आदेश दिनांकित 09.07.2025 द्वारा रिकार्ड पर लिए गए हैं, वह उन्हीं से संबंधित हैं एवं हस्तगत प्रकरण के न्यायसंगत निस्तारण हेतु आवश्यक है। ऐसी स्थिति में इन दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। जहां तक इन दस्तावेजों को साक्ष्य में ग्राह्य किए जाने का प्रश्न है, यह बिंदु इस स्तर पर निर्णय किये जाने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिया जाता है।

अब हम प्रतिवादी संख्या 1 (2)(2) मोहित की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 18 नियम 4 एवं 19 नियम 3 जाब्ता दीवानी पर विचार करें तो इस प्रार्थना पत्र की बहस में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण ने जो शपथ पत्र दिनांक 23.05.2025 को प्रस्तुत किया है वह शपथ पत्र हुबहू वादपत्र की प्रति है। इसमें अंकित कथन वादी गवाह के निजी ज्ञान से साबित किए जाने योग्य नहीं है। वादी ने यह शपथ पत्र आदेश 19 नियम 3 में वर्णित प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत किया है, ऐसी स्थिति में इस शपथ पत्र को पत्रावली के "डी" भाग में रखे जाने के आदेश दिए जावे एवं इस शपथ पत्र को साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जावे। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए-

- 1- 2025 INSC 466 Annaya Kocha Shetty (Dead) Thr LRs vs Laxmibai Narayan Satose Thr LRS
- 2- 2022(3) CJ(Civ)(Raj) 1741 Manish Dharmavat & Anr vs Bhawar Lal Jain & Ors.

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया शपथ पत्र वादपत्र की हुबहू नकल नहीं है। प्रतिवादी ने केवल मात्र प्रकरण को विलंबित करने के आशय से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

हमने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। साथ ही प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। आदेश 19 नियम 3 में यह उपबंधित किया गया है कि -  
वे विषय जिन पर शपथ पत्र सीमित होंगे-(1) शपथ पत्र ऐसे तथ्यों तक ही सीमित होंगे जिनको अभिसाक्षी अपने निजी ज्ञान से साबित करने में समर्थ हैं, किन्तु

10-2025 INSC 466 Annaya Kocha Shetty (Dead) Thr LRs vs Laxmibai Narayan Satose Thr LRS


अमर जिला न्यायाधीश संख्या 10/2025  
किशनगढ़ (आजमेर)

अन्तर्वर्ती आवेदनों के शपथ पत्रों में उसके विश्वास पर आधारित कथन ग्राह्य हो सकेंगे:  
परंतु यह तब जब कि उनके लिए आधारों का कथन किया गया हो।

(2) जिस शपथ पत्र में अनुश्रुत या तार्किक बातें या दस्तावेजों की प्रतियां या दस्तावेजों के उद्धरण अनावश्यक रूप से दर्ज किए गए हैं, ऐसे हर एक शपथ पत्र के खर्चे (जब तक कि न्यायालय अन्यथा निदेश न करे) उन्हें फाइल करने वाले पक्षकार द्वारा दिए जाएंगे।"

इस संबंध में हस्तगत प्रकरण में वादी की ओर प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन करें तो इस शपथ पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी की ओर से जो शपथ पत्र दिनांक 23.05.2025 को प्रस्तुत किया गया है, वह शपथ पत्र वादपत्र की हुबहू नकल नहीं है। अपितु इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य वादपत्र एवं प्रतिवादी द्वारा लिए गए उच्च व अन्य दस्तावेजों से संबंधित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने के कोई न्यायसंगत आधार पत्रावली पर मौजूद नहीं है। परिणामतः यह प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किए जाने योग्य है। अतः यह प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 20.08.2025 को पेश हो।

  
(संदीप आनन्द)

अपर जिला न्यायाधीश संख्या-01  
किशनगढ़ (अजमेर)

20.08.25 वकील पक्षकारान उपा (की)  
वकील वादी ने प्रार्थना पत्रावली  
द्वारा 65 भारतीय साक्ष्य आधीषीक  
वास्तु कार्य कोपी दस्तावेजों को 1 हीलीय  
साक्ष्य न गृहण करने की अनुमति दिये  
जाने का वक्त पत्र किया नकल दिलवाइ  
गई शामिल पत्रावली रहे / पत्रावली  
वास्तु अवका प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक  
27.08.25 को पेश हो

अपर जिला न्यायाधीश संख्या-01  
किशनगढ़ (अजमेर)

C.S. 46/12

श्रीधर खोसलाल vs लालचन्द

27.08.25 वकील पक्षकारान उपासीत /  
P.O. साख्ख आवकाश पर हू। पगावली  
वास्तु जवाब प्रार्थना पग हनु दिनांक  
03.09.25 को पेश ह।

अपर जिला न्यायाधीश सख्त-01  
दिसानगढ़ (अजमेर)